भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
29.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 596 का उत्तर

राजधानी एक्सप्रेस में परोसे जाने वाले भोजन की निम्न गुणवत्ता

596. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजधानी में परोसे जाने वाले भोजन, खाद्य सामग्री की निम्न, खराब गुणवत्ता और मात्रा के मामले को लेकर चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों से लेकर आज तक राजधानी ट्रेनों में यात्री सुविधाओं पर निगरानी और शिकायत निवारण करने के साथ-साथ कोई खाद्य नमूना परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल का यह निरंतर प्रयास रहता है कि यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाला और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि भोजन की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

खानपान सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- निर्दिष्ट बेस किचन से भोजन की आपूर्ति।
- चिह्नित स्थानों पर आधुनिक बेस किचन की शुरुआत।
- भोजन तैयार करने की बेहतर निगरानी के लिए बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाना।
- भोजन तैयार करने के लिए खाना पकाने का तेल, आटा, चावल, दालें, मसाला आइटम, पनीर, डेयरी उत्पाद आदि हेतु लोकप्रिय और ब्रांडेड कच्चे माल का चयन और उपयोग करना।
- खाद्य संरक्षा और स्वच्छता पद्धतियों की निगरानी के लिए बेस किचन में खाद्य संरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती।
- गाड़ियों में ऑन-बोर्ड आईआरसीटीसी पर्यवेक्षकों की तैनाती।
- खाद्य पैकेटों पर क्यूआर कोड की शुरूआत करना, ताकि रसोई का नाम, पैकेजिंग की तारीख आदि जैसे विवरण प्रदर्शित हो सके।
- बेस किचन और पेंट्री कारों में नियमित रूप से गहन सफाई और आवधिक रूप से पेस्ट कंट्रोल।
- खाद्य संरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक खानपान इकाई के नामित खाद्य संरक्षा अधिकारियों से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।
- गाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और निगरानी तंत्र के एक भाग के रूप में नियमित रूप से खाद्य नमूनाकरण। पेंट्री कारों और बेस किचन में भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया जाता है।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों सहित रेलवे/आईआरसीटीसी अधिकारियों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण।

(ग) और (घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक राजधानी गाड़ियों में भोजन की आपूर्ति करने वाली गाड़ियों और बेस किचनों से 2645 नमूने एकत्र किए गए थे।

इसके अलावा, रेलमदद, ट्विटर, सीपीग्राम्स, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने और शिकायत निवारण के लिए एक सुदृढ़ तंत्र मौजूद है। जब भी सेवाओं में कमी की कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो जुर्माना लगाने, अनुशासनिक कार्रवाई, परामर्श, चेतावनी आदि सहित उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
